(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 165/2020

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2020/00128

बउनवान

महेश कुमार उम्र 16 वर्ष नाबालिग जर्ये संरक्षक सुरेशचन्द्र पुत्र रामदयाल दत्तक पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी भैंसडा तहसील अटरू जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

1. छीतरलाल पुत्र प्रभूलाल जाति गुर्जर निवासी भैंसडा तहसील अटरू जिला बारॉ
2. रामदयाल पुत्र प्रभूलाल जाति गुर्जर निवासी भैंसडा तहसील अटरू जिला बारॉ
3. बाबूलाल पुत्र प्रभूलाल जाति गुर्जर निवासी भैंसडा तहसील अटरू जिला बारॉ
4. जगन्नाथ पुत्र प्रभूलाल जाति गुर्जर निवासी भैंसडा तहसील अटरू जिला बारॉ
5. प्रेमबाई पुत्री प्रभूलाल पत्नि रामकल्याण जाति गुर्जर निवासी भैंसडा तहसील अटरू जिला बारॉ
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार अटरू के तस्दीकी इंतकाल नं0 707 एवं 708 दिनांक 23.01.2020 ग्राम भैंसडा तहसील अटरू की अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री बालमुकन्द गुर्जर अभिभाषक (अपीलांट)
2– अनुपस्थित (रेस्पो. क्रम 2)
3– श्री रघुवीर प्रसाद मीणा अभिभाषक (रेस्पो. क्रम 1,3,4,5)
4– पेरोकार सरकार (रेस्पो. क्रम 6)

निर्णय दिनांक 28.03.2022

अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के तस्दीकी इंतकाल संख्या 707 एवं 708 दिनांक 23.01.2020 ग्राम भैंसडा तहसील अटरू से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 14.07.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से इंतकाल की प्रमाणित प्रति तलब की गई, जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में रेस्पो. क्रम 1,3,4,5, द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है एवं रेस्पो. क्रम 6 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त इंतकाल की प्रमाणित प्रति को आधार मानकर उभयपक्ष के अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी गई ।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट के स्व0 दत्तक पिता किशनलाल पुत्र प्रभूलाल जाति गुर्जर निवासी भैंसडा तहसील अटरू जिला बारॉ के शामलाती की काश्त व खाते की आराजियात खाता संख्या 48 की भूमि खसरा नम्बर 835 रकबा 2.60 हेक्टयर मे स्व0 दत्तक पिता किशनलीाल का 1/5 हिस्सा व [illegible] भूमि खसरा नम्बर 724 रकबा 0.12 हेक्टयर, खसरा नम्बर 734 रकबा 1.76 हेक्टयर, खसरा नम्बर 782 रकबा 2.99 हेक्टयर, खसरा नम्बर 785/1276 रकबा 0.51 हेक्टयर, खसरा नम्बर 828 रकबा 5.25 हेक्टयर कुल किता 6 कुल रकबा 11.58 हेक्टयर मे स्व0 दत्तक पिता किशनलाल का 1/6 हिस्सा निहित था, जो माल भैंसडा तहसील अटरू जिला बारॉ मे अवस्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 13:34:52 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त वर्णित आराजियात अपीलांट को गोद पुत्र के रूप मे किशनलाल से गोद पुत्र होने के नाते प्राप्त हुई थी जिस पर बदस्तूर किशनलाल के जीवन काल से ही जर्ये वली संरक्षक सुरेशचन्द्र के काबिज काश्त व स्वामित्व मे चली आ रही है। अपीलांट के पक्ष मे मृतक किशनलाल ने अपने जीवन काल में ही जर्ये रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 16.11.2010 को रूबरू गवाहान सनद करवाया गया था। गोदनामा के मुताबिक अपीलांट जर्ये संरक्षक सुरेशचन्द्र मद नं0 1 मे वर्णित आराजियात खाता संख्या 48 मे 1/5 व खाता संख्या 49 में 1/6 हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा था तथा दत्तक पिता किशनलाल की मृत्यु उपरांत किशनलाल के हिस्से की जमीन का इंतकाल अपीलांट के नाम खोला जाना न्यायोचित था। लेकिन रेस्पो0 कम 6 से रेस्पो0 कमा 1 ता 5 द्वारा मिली भगत करते हुये गलत व बिना विधि सम्मत आधारों पर गलत तरीके से रेस्पो. कम 1 ता 5 के नाम मद नं0 1 मे सम्पूर्ण आराजियात का इंतकाल नम्बर 707 व 708 खोल कर घोर विधिक त्रुटि रेस्पो0 कम 6 द्वारा कारित की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा खोले गये इंतकाल नम्बर 707 व 708 दिनांक 23.01.2020 ग्राम भैसडा तहसील अटरू जिला बारॉ निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अपीलांट किशनलाल का दत्तक पुत्र है तो उसके पिता का नाम जन आधार योजना एवं परिवार राशन कार्ड मे किशनलाल ही होना चाहिये था जबकि ऐसा नही है। उनमे उसके पिता का नाम सुरेशचन्द्र गुर्जर एवं पोता रामदयाल दर्शाया गया है। जब अपीलांट द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 16.11.2010 में रजिस्टर्ड करवा दिया गया था तो उसको उक्त इंतकाल तस्दीक किये जाने के समय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। जबकि उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीक किये गये इंतकाल संख्या 707 एवं 708 दिनांक 23.01.2020 ग्राम भैंसडा तहसील अटरू तस्दीक किये जाने से पूर्व अपीलांट के पक्ष मे किशनलाल द्वारा जो गोदनामा दिनांक 16.11.2010 को रजिस्टर्ड करवाया गया है, उसको सुना जाना चाहिये था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा ऐसा नही किया गया है।

अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीक किये गये इंतकाल संख्या 707 एवं 708 दिनांक 23.01.2020 ग्राम भैंसडा तहसील अटरू खारिज किये जाते है। प्रकरण तहसीलदार अटरू को रिमाण्ड/प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुना जाकर एवं मृतक किशनलाल के विधिक वारिसान की जॉच की जाकर नये सिरे से इंतकाल खोले जावे।

निर्णय आज दिनांक **28.03.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 16:34:52 IST
Reason: SelfAttested

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ